IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ''ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना एंव पंचायती राज संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :एक परिचय

सुनिता मौर्य, अफरोज अहमद
राज. विज्ञान विभाग आरएनबी ग्लोबल विश्वविद्यालय बीकानेर (राजस्थान)

सारांश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहॉ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। ना केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अपितु अब स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की जा चुकी है। निर्वाचन लोकतंत्र का प्रतीक एवं प्रतिबिम्ब दोनों है। अतः इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को इसकी सफलता का आधार माना जा सकता है। निष्पक्ष निवार्चन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्राणतंत्र है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ''ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना एंव पंचायती राज संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, पंचायती राज, ग्राम स्वराज्य

परिचय :–

पंचायत व्यवस्था का उद्भव कब हुआ इसका तात्कालिक स्वरूप क्या था ? कहना काफी कठिन है किन्तु अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि जब मानव समाज का उदय हुआ लगभग उसी समय से पंचायती राज व्यवस्था का भी उदय हुआ।

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में पंचायतों के बारे में उदाहरण मिलते है। जिसके द्वारा तत्कालीन व्यवस्थाओं में पंचायत प्रशासन का प्रतिफल दृष्टिगत होता है। रामायण युग में जनपदों का अस्तित्व था, जो ग्रामीण गणराज्यों के रूप में जाना जाता था। इसी प्रकार महाभारत व स्मृति की पुस्तकों में सभा समितियों एवं संघों आदि का वर्णन प्राप्त होता है।

मध्य युगीन हिन्दूकाल, गुप्तकालीन व्यवस्था एवं मुगलकालीन शासन व्यवस्था में भी ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की इकाई अपने पुरातन रूप में विद्यमान थी एवं इनका महत्व भी विद्यमान था।

गुप्तकालीन व्यवस्था में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व था। शासन का विक्रेन्द्रीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया था। ग्राम की शांति, सुरक्षा एवं मर्यादा हेतु उत्तरदायी ग्रामीक की सहायतार्थ पंचमण्डल या पंचायतें स्थापित की जाती थी।

मुगलकालीन शासन व्यवस्था में ग्रामीण स्वशासन में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं किए गए व ग्राम पंचायतों का कार्य पूर्व की भांति चलता रहा।

ब्रिटीशकाल में पंचायत व्यवस्था को समाप्त करने के अनेक प्रयास किये गए किन्तु इनकी जड़ें बहुत गहरी होने के कारण ये प्रयास सफल नहीं हो पाए। ब्रिटिशकाल में अंग्रेजों ने धीरे–धीरे पंचायतों के सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को अपने अधिकार में ले लिया, इस प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को अपने अधिकार में ले लिया, इस प्रकार ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और पंचायतों का महत्व भी समाप्त हो गया। प्रारम्भिक अवस्था में पंचायतों के मृत प्रायः कर दिया गया था किन्तु कालान्तर में अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा न्याय के लिए अनेक महत्व को समझा व इनको पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। इस दिशा में सर्वप्रथम 14 दिसम्बर, 1870 को लार्ड मेयो द्वारा सत्ता के विक्रेन्द्रीकरण व स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए काउन्सिल मे प्रस्ताव पारित करवाया गया, जो कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया।

स्थानीय स्वायत्त शासन के इतिहास में लार्ड रिपन के सुधारों को ''मील का पत्थर'' माना जाता है। ये सुधार 18 मई 1862 को लागू हुए। इन सुधारों के माध्यम से स्वायत्तशासी संस्थाओं में सरकारी सदस्यों की संख्या को कम कर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढाया गया। इन गैर सरकारी सदस्यों को लोगों द्वारा चुने जाने का प्रावधान किया गया तथा कुछ मामलों में अध्यक्ष पद भी जन प्रतिनिधियों को दिए गए।

स्वतंत्रता से पूर्व

लार्ड रिपन को भारत में स्थनीय स्वायत्त शासन के जनक के रूप में माना गया है।
इन प्रयासों से स्थानीय संस्थाओं के गठन में कुछ प्रगति हुई, परन्तु 19वीं सदी के अन्त में वायसराय लार्ड कर्जन की इस विचारधारा ने कि भारतीयों को शक्ति व उत्तरदायित्व देना बेकार है, क्योंकि वे शासन नहीं जानते, ने इसे प्रभावहीन कर दिया।

सन् 1901–1919 के मध्य सत्ता के बढते केन्द्रीकरण से चिन्तित होकर सचिव विस्काऊट मॉडी ने 1907 में चार्ल्स हाबहाउस की अध्यक्षता में शाही विक्रेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिशें थी की स्वायत्त शासन की शुरूआत ग्राम स्तर से हो और ये विकास कार्यों के अलावा न्यायिक एवं व्यवस्था मूलक कार्य भी करें। ये सुझााव भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाये।

सन् 1915 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर पंचायतों से सम्बंधित कानून बनाने का कार्य सरकारों को सौंप दिया। ब्रिटिश शासन के विरूद्ध जन आन्दोलन के इस दौर में यह प्रस्ताव भी अपना प्रभाव नहीं छोड पाया।

अब तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ''स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा'' जोर पकड चुका था, परिणामतः ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया। जिसे ''मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार'' भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पंचायतों को प्रान्तीय सरकार का विषय बनाया गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि 1925 तक आठ प्रान्तों में पंचायत अधिनियम पारित हुए, बंगाल स्वायत्त शासन अधिनियम 1920, बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम 1920, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920, केन्द्रीय प्रान्तीय व बिहार पंचायत अधिनियम 1920, मद्रास पंचायत अधिनियम 1920, पंजाब पंचायत अधिनियम 1922 तथा असम स्वायत्त शासन अधिनियम 1925

इसके उपरान्त भारत सरकार अधिनियम 1935 मे पंचायतों को प्रान्तीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया। सन् 1937 में प्रान्तीय सरकारें बनी तब सभी ने पंचायतों को जन प्रतिनिधियों की संस्थाएं बनाया। सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया तथा शासन गवर्नर के हाथ में चला गया, जहॉ नौकरशाही हावी रही। यह स्थिति 1947 तक चलती रही। इस काल को पंचायती राज संस्थाओं के लिए ''अन्धकार का काल'' भी कहा जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात्

महात्मा गांधी के प्रयासों और कई विवादों एवं चर्चाओं के उपरान्त संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के भाग 4 अनुच्छेद 40 वां सम्मिलित किया गया, इसमें कहा गया कि ''राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाऐं''।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ''ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के प्रति कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप में कल्याणकारी योजनाओं का सृजन करता हुआ उन्हें मूर्त रूप देने का भरसक प्रयास कर रहा है। गांवों में बसने वाले भारत के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक कि गांव एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्र के समन्वय से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। आज राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में तीव्र गति से नियोजित विकास करते हुए अग्रिम पंक्ति के राज्यों में अपना स्थान बनाने हेतु प्रयासरत है''

ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अमेरिका के खण्ड (ब्लॉक) प्रारूप पर आधारित 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना को आरम्भ किया गया। ये योजनाएं समिति क्षेत्रों में ही सफल हो सकी और 'अन्ततः' इन्हें बन्द करना पड़ा।

इन कार्यक्रमों की असफलता की जांच हेतु श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई जिसने इन कार्यक्रमों की असफलता का कारण लोकप्रिय नेतृत्व एवं जन–सहभागिता का अभाव बताया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में आर्थिक विकास पर बल दिया तथा ''लोकतांत्रिक विक्रेन्दीकरण'' की योजना प्रस्तुत की, जिसे सम्पूर्ण देश में ''पंचायती राज'' के रूप में जाना गया। इस योजना के अन्तर्गत ''तीन स्तरीय व्यवस्था'' प्रस्तुत की गई।

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
2. खण्ड स्तर पर पंचायत समिति
3. जिला स्तर पर जिला परिषद्

अप्रेल 1958 में इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को उसे कार्यान्वित करने को कहा गया। सर्वप्रथम पं. जवाहर लाल ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का दीपक राजस्थान के नागौर जिले में प्रज्वलित किया गया था।

इसके पश्चात् आन्ध्रप्रदेश 1959, महाराष्ट्र 1962, गुजरात 1963, पश्चिम बंगाल 1964 में पंचायती राज का प्रारम्भ हुआ।

2 अक्टूबर 1959 में विकसित पंचायती राज संस्थाओं का जो महत्वूपर्ण ढांचा अस्तित्व में आया था, एक दशक तक अच्छी प्रगति करने के बाद व्यावहारिक प्रभावशीलता की सीमितता के कारण मरणासन्न हो गया।

दिसम्बर, 1977 में भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सक्षम, कुशल व जनोपयोगी बनाने हेतु सुझाव देने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ''प्रजातांत्रिक प्रबंध की व्यवस्था'' की अवधारणा पर बली दिया तथा पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। समिति ने इन संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने, जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, कर लगाने का अधिकार प्रदान करने एवं दलीय आधार पर चुनाव कराए जाने की सिफारिशें भी की।

1984 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई तथा केन्द्र द्वारा पंचायती राज पर अध्ययन हेतु जी.वी. के राव समिति का गठन किया गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन 1985 में प्रस्तुत किया, जिसमें जिला परिषद को प्रधानता दी। समिति ने पंचायती राज के प्रतिनिधि के स्वरूप में सुधार लाने का सुझाव दिया तथा पंचायती राज संस्थाओं में

प्रशासनिक कर्मचारियों तथा जन–प्रतिनिधियों की क्षमताऐं मजबूत करने एवं नियमित चुनावों की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित की, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिये जाने एवं पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन प्रणाली के रूप में देखे जाने की सिफारिश की। समिति ने ग्राम पंचायतों को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए ग्रामों के पुर्नगठन की सिफारिश की। समिति निचले स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजनाऐं बनाने व उन्हें क्रियान्वित करने में पंचायती राज संस्थाओं को संलिप्त करना चाहती थी। समिति की सिफारिशों को ''प्रत्यक्ष पंजातंत्र के अवतार'' की संज्ञा दी गई।

1988 के अंत में संसद की एक उपसमिति श्री पी.के. थुगन की अध्यक्षता में गठित की गई, इसमें कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति क सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने एवं नियमित चुनाव कराए जाने की दृढतापूर्वक सिफारिशें की। इस समिति ने यह भी सिफारिश की, कि जिले में केवल जिला परिषद योजना तथा विकास एजेन्सी होनी चाहिए।

सविधान संशोधन

(अ) 64 वां संविधान संशोधन विधेयक 1989: राजीव गांधी की भूमिका

समितियों की पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 1989 में 64 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसे लोकसभा ने 10 अगस्त 1989 को पारित किया परन्तु राज्य सभा ने इसे नामंजूर कर दिया।

(ब) 71 वां संविधान संशोधन विधेयक 1990 (प्रस्तावित)

वी.पी. सिंह की साझा सरकार ने 71 वां संशोधन विधेयक 7 दिसम्बर 1990 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को तैयार करने से पूर्व इस प्रयोजन के लिए गठित मंत्रिमण्डल समिति में विस्तार से विचार–विमर्श कर इसके क्षेत्र को सीमित किया गया। इस विधेयक में राज्यों की स्वायत्त्ता के लिए आश्वस्त करते हुए 64 में विधेयक के विवादास्पद प्रावधानों, जिसमें केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाने और नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण आदि को छोड़ दिया गया।

(स) 72 वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 (प्रस्तावित)

श्री पी.वी. नरसिम्हाराव ने केन्द्र सरकार में 16 सितम्बर 1991 को 72 वां सविधान संशोधन विधेयक 1991 के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में विपक्षी दलों के दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया गया तथा 64 वें विधेयक के विवादास्पद प्रावधानों को हटा दिया गया। यह विधेयक वास्तव में 64 वें व 71 वें विधेयक के मध्य सन्तुलन रखते हुए तैयार किया गया था।

72 वें विधेयक को जांच हेतु दिसम्बर 191 में संसद की संयुक्त चयन समिति के पास भेजा गया। समिति ने संयुक्त समिति के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सथ व्यापक विचार–विमर्श किये और आम सहमति से संशोधन किया।

(द) <u>संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम 1992</u>

संयुक्त संसदीय समिति द्वारा आवश्यक परिवर्तनों के बाद इस विधेयक का क्रमांक 72 से 73 कर दिया गया। इस विधेयक को लोकसभा ने 2 दिसम्बर 1992 को तथा राज्यसभा ने 23 दिसम्बर 1992 को पारित कर दिया। 17 राज्यों के समर्थन के पश्चात् 21 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इसके द्वारा ग्रामसभाओं सहित पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

सविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोडा गया। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11 वी अनुसूची को जोडकर (भाग 9 अनुच्छेद 249, 243 क से 243 ड तक) पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित आवश्यक तत्वों का ना केवल समावेश किया गया अपितु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानियक मान्यता और चुनावों से सम्बंधित प्रत्याभूति प्रदान की गई।

अंत में 29 मदों वाली ग्यारवीं अनुसूची अनुच्छेद 243–छ जोडी गई है जिसके द्वारा स्थानीय महत्व के कार्यों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी भूमिका प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों से सम्बंधित कुछ प्रावधानों का भी प्रबन्ध किया गया था। पंचायत राज अधिनियम के लागू करने की दिशा में तेजी से प्रगति हुई। मध्यप्रदेश पहला राज्य हैं जिसने 73 वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों का गठन किया। इन चुनावों के परिणामस्वरूप आज हमारे देश में ग्राम स्तर की 2 लाख 27 हजार से अधिक पंचायतों का गठन हो चुका है, मध्यस्तर पर 5900 से अधिक पंचायत समितियां बन गई है और जिला स्तर पर 474 जिला परिषदों का गठन हो चुका है। इस प्रकार तीनों स्तरों पर कुल मिलाकर 34 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि इन संस्थाओं में आए हैं।

संविधान के 73 वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात् जो परिणाम सामने आए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह हैं कि महिलाओं के 33 प्रतिशत स्थान सुरक्षित करके समाज में महिलाओं को एक बडा गौरवशाली स्थान दिया है। यहां तक कि कर्नाटक में 46 प्रतिशत तथा बंगाल में 35 प्रतिशत महिलाऐं इन संस्थाओं में हैं।

संविधान के 73वें संशोधन में सबसे बडी कमी जो देखने को मिलती है वह यह है कि शक्तियों का हस्तांतरण राज्य सरकारों की स्वेच्छा पर रखा गया है। राज्य सरकारें अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहती। परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को जितनी शक्तियां मिलनी चाहिए थी, उतनी मिल नहीं पा रही है। पंचायती राज संस्थाऐं पहले की तरह सरकारों की कृपा दृष्टि पर है। इसी प्रकार जिलाधीश अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि इस संशोधन के उपरान्त ऐसा समझा जाने लगा था कि नौकरशाही चुने हुए प्रतिनिधयों के अनुरूप काम करेगी। परन्तु ऐसा देखा गया कि राज्य सरकारें नौकरशाही द्वारा इन संस्थाओं में अभी भी हस्तक्षेप कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं में धन की समस्या अभी भी लगभग वैसा ही है यद्यपि वित्त आयोग के प्रावधान से ज्यादा उम्मीदें थी परन्तु व्यावहारिक तौर पर उसके विपरीत हो रहा है।

संविधान के 73 वें संशोधन की अगर हम समीक्षा करें तो हम संशोधन की उपलब्धियों को बिल्कुल ही नकार नहीं सकते। सबसे पहले संवैधानिक दर्जा तथा उसके उपरान्त समयबद्ध चुनाव महिलाओं की भागीदारी तथा समाज में पिछड़े वर्गों का उस प्रक्रिया में स्थान, सामाजिक न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं में न केवल ग्रामीण विकास की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। लोगों को लोकतंत्र में भाग लेने का परोक्ष रास्ता मिला है। भारत में तीन चौथाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। काम भी अपना, गांव भी अपना जैसे उद्देश्य ने पंचायती राज संस्थाओं के गौरव को और भी अधिक बढ़ा दिया है तथा ग्राम सभा के सदस्यों के अलावा समितियां गठित करना, रोजगार आश्वासन योजना, स्थानीय जिला योजना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो समाज में आम लोगों की भागीदारी तथा जीवन स्तर को उठाने में सहायक होंगे।

निष्कर्ष

यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों अध्ययन किये जा चुके हैं तथा इससे सम्बंधित काफी मात्रा में साहित्य भी उपलब्ध है जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास, गठन पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन, कार्यकरण तथा इसकी प्रशासनिक समस्याओं से सम्बंधित है। इन संस्थाओं के निर्वाचन से सम्बंधित अब तक हुए अध्ययन निवार्चन से सम्बंधित एक या दो पक्षों को लेकर ही हुए हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन सम्बंधित जो भी गहन अध्ययन अब तक हुए हैं वे सब राष्ट्रीय स्तर पर ही हुए हैं। लोगों की सहभागिता लोकतंत्र का हृदय स्थल तथा सार है। जिस व्यवस्था में अपनी सरकार के संचालन में लोगों की सहभागिता जितनी अधिक निरन्तर सक्रिय संरचनात्मक ओर निकट होगी वह व्यवस्था लोकतंत्र के राजनैतिक आदर्श के उतनी ही समीप समझी जाएगी। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लोगों की सहभागिता प्राप्त

करने का एक सशक्त उपाय है इसका ध्येय शासन कार्यों में लोगों की अधिकतम और जीवन की सहभागिता को सुनिश्चित करना होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. श्रीवास्तव भारत में पंचायतीराज आर.वी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर 1994
2. शर्मा गोपीनाथ राजस्थान का सामाजिक आर्थिक इतिहास राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
3. सिसोदियायतीन्द्र सिंह पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति, महिला नेतृत्व रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2000
4. राठौड, गिरिवर सिंह भारत में पचायती राज, पंचशील प्रकाशन जयपुर 2004

   पंचायत राज की प्रशासनिक रचना एवं उसका कार्यकरण एवं अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध,पारीक,
5. उर्मिला लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 1998

पत्र–पत्रिकाऐं

1. राजस्थान विकास– पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. योजना– सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. कुरूक्षेत्र– ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली
4. राजस्थान पत्रिका– पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर
5. दैनिक भास्कर' रायटर्स एवं पब्लिशर्स लिमिटेड, जयपुर
6. हिन्दुस्तान टाइम्स

जर्नल

1. पॉलिटिकल साईंस रिव्यू, वॉल्यूम नं0 2 अक्टूबर, 1966
2. जर्नल ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑवरसीज बी–7 (2) 19689
3. जर्नल ऑफ पॉलिटिकल स्टेडीज, जालंधन फरवरी, 1978
4. कुरूक्षेत्र
5. योजना

अधिनियम

1. भारत सरकार : 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
2. भारत सरकार : 64वां संविधान संशोधन विधेयक

पत्र–पत्रिकाऐं

1. राजस्थान विकास– पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

2. योजना– सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. कुरूक्षेत्र– ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation